



भारत का गज़त The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2018/पौष 25, 1939

No. 200]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2018/PAUSH 25, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2018

का.आ.226 (अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित उद्योगों/प्रतिष्ठानों की सेवाओं को जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की विभिन्न मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए, नामतः-

- (1) भारत सरकार टक्साल, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई और हैदराबाद जिन्हें प्रथम अनुसूची की मद संख्या 11 में शामिल किया गया है;
- (2) भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
- (3) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 12 में शामिल किया गया है;
- (4) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 21 में शामिल किया गया है;
- (5) बैंक नोट प्रैस, देवास, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 22 में शामिल किया गया है;
- (6) करेंसी नोट प्रैस, नासिक रोड, जिसे प्रथम अनुसूची की मद संख्या 25 में शामिल किया गया है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (d) के उप-खण्ड (vi) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योगों/प्रतिष्ठानों को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः माह की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/4/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2018

S.O. 226. (E).—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the following industries/establishments under the Ministry of Finance which are covered under



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288
No. 288]नई दिल्ली, शक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSH 29, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2018

का.आ. 335(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपवंधों के अनुसरण में 'वैंक नोट पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक, में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 32 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 01.08.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 01 अगस्त, 2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 1 फरवरी, 2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2016-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2018/फाल्गुन 4, 1939

No. 689]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2018/PHALGUNA 4, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2018

का.आ. 781(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 16.08.2017 द्वारा खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्परिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल विविध हाईड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिन में सिंथेटिक तेल, ल्युब्रिकेटिंग तेल और इसी प्रकार के तेल शामिल हैं के निर्माण या उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं में हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 26 में भागिल हैं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 01.09.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भावितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 01.03.2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/6/97—आइ.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 900]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 07, 2018/फाल्गुन 16, 1939

No. 900]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 07, 2018/PHALGUNA 16, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 मार्च, 2018

का.आ. 1015(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ताम्बा खनन उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त भावितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस-11017/11/97-आई. आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2018

S.O. 1015(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the 'Copper Mining Industry' which is covered by item 13 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S.-11017/11/97-IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 901]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2018/फाल्गुन 16, 1939

No. 901]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2018/PHALGUNA 16, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

का.आ. 1016(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में युरेनियम उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 28.08.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 11 सितम्बर, 2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 11 मार्च, 2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 910]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939

No. 910]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

का.आ. 1026(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में किसी भी तेल क्षेत्र में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 17 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 13.09.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.09.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.03.2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/10/97-आइआर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1233]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2018/चैत्र 5, 1940

No. 1233]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2018/CHAITRA 5, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2018

का.आ. 1365(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (v) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में नाभिकीय ईंधन और संचाटक, भारी पानी और संवध रसायन तथा आणविक उर्जा, में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 28 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 13.09.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 29.09.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (v) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 29.03.2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017 / 3 / 97—आई.आर.(पी.एल.)]
कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का गज़तपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1683]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 2018/ वैशाख 20, 1940

No. 1683]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 2018/ VAISAKHA 20, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2018

का.आ. 1870(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में 'अल्युमिना और अल्युमिनियम का विनिर्माण' तथा 'बॉक्साइट का उत्खनन' में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 30 एवं 31 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 13.11.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.11.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16.05.2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017 / 2 / 2011—आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1423]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2018/चैत्र 21, 1940

No. 1423]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2018/CHAITRA 21, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2018

का.आ. 1569(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में बैंकिंग उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 2 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 16.10.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.10.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 21.04.2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/97 - आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1445]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940

No. 1445]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2018/CHAITRA 23, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

का.आ.1591(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में कोयला उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 4 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 16.10.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017 / 2 / 97—आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1535]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2018/चैत्र 30, 1940

No. 1535]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2018/CHAITRA 30, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2018

का.आ. 1689(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में यात्रियों अथवा सामान की ढुलाई के लिए (भूमि अथवा जल द्वारा) परिवहन (रेलवे के आलावा) में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 1 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 27.10.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 27.10.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 27.04.2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.11017/1/2009-आइ.आर.(पी.एल.]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2220]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2018/ज्येष्ठ 29, 1940

No. 2220]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

का.आ. 2953(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में लोहा एवं इस्पात उद्योग में लगे उद्योगों की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 13.12.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 20.12.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 20.06.2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा.सं. एस-11017 / 7 / 2011—आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2221]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2018/ज्येष्ठ 29, 1940

No. 2221]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

का.आ. 2954(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में रक्षा प्रतिष्ठान में लगे उद्योगों की सेवाएँ जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 8 में शामिल हैं, को जैसा कि इस मंत्रालय की दिनांक 13.12.2017 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.12.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित किया गया था।

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए दिनांक 22.06.2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017 / 8 / 2011—आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2351]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 2018/आषाढ 4, 1940

No. 2351]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 2018/ ASHADHA 4, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2018

का.आ. 3093(अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (अप) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 27.12.2017 द्वारा भारतीय खाद्य निगम, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 6 में शामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 27.12.2017 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखंड (अप) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 27.06.2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2672]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940

No. 2672]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

का.आ. 3443(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों, अर्थात् :-

- (क) भारत सरकार टक्साल, कोलकाता, नोएडा, मुम्बई और हैदराबाद (मद संख्या 11 में सम्मिलित);
- (ख) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक (मद संख्या 12 में सम्मिलित);
- (ग) सिक्यूरिटी प्रिटिंग प्रैस, हैदराबाद (मद संख्या 12 में सम्मिलित);
- (घ) सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद (मद संख्या 21 में सम्मिलित);
- (ङ) बैंक नोट प्रैस, देवास (मद संख्या 22 में सम्मिलित);
- (च) कैरेंसी नोट प्रैस, नासिक रोड (मद संख्या 25 में सम्मिलित),

जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 11, 12 [(ख) और (ग) दोनों] 21, 22 और 25 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जैसा ऊपर विनिर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाना चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 226 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2018 द्वारा तारीख 15 जनवरी, 2018 से छह मास कि अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रमों को लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया था;



भारत का गज़त The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2964]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2018/श्रावण 9, 1940

No. 2964]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2018/SHRAVANA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का.आ.3754(अ).—केन्द्रीय सरकार के समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में 'बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में सेवा', में लगे उद्योगों की सेवाएं शामिल हैं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 32 में आते हैं, को, जैसा कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.335(अ) तारीख 19 जनवरी, 2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तारीख 1 फरवरी, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था;

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास के लिए और विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 1 अगस्त, 2018 प्रभाव से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2016-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का गज़त The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2965]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2018/श्रावण 9, 1940

No. 2965]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2018/SHRAVANA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का.आ. 3755(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि 'ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और ऐसी अन्य) का प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण' सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 के द्वारा सम्मिलित किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "लोक उपयोगी सेवाएं" घोषित किया जाना चाहिए;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "लोक उपयोगी सेवा" घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2017-आई.आर. (पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2018

S.O.3755(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the service in the Processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like) which is covered by item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a "public utility service" for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a "public utility service" for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification.

[F. No. S.11017/ 2 / 2017 -IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3411]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 2018/भाद्र 9, 1940

No. 3411]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 2018/BHADRA 9, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

का.आ. 4220(अ).—केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल भिन्न-भिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिनके अंतर्गत सिंथेटिक ईंधन, ल्युब्रिकेटिंग तेल और उसी प्रकार के ईंधन और तेल भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगी उद्योग सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 26 में आती हैं, को लोक उपयोगिता सेवाएं हो, जैसा कि उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 781(अ), तारीख 23 फरवरी, 2018 द्वारा तारीख 1 मार्च, 2018 से छह मास की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 1 सितम्बर, 2018 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2018-आई.आर.(पी.ए.ल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3520]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940

No. 3520]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

का.आ. 4334(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के उपवंधों के अनुसरण में उद्योग में की सेवाएं किसी तेल क्षेत्र में की सेवा जो उक्त अधिनियम, की पहली अनुसूची की मद 17 में आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी लोक उपयोगी सेवा होगी जिसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1026(अ) तारीख 9 मार्च, 2018 द्वारा 16 मार्च, 2018 से छह मास की अवधि के लिए अधिसूचित की गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त औद्योगिक का लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति का छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 16 सितम्बर, 2018 से छह मास की और अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2018-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3521]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940

No. 3521]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

का.आ. 4335(अ).—केन्द्रीय सरकार, संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के उपवंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1016(अ), तारीख 7 मार्च, 2018 द्वारा युरेनियम उद्योग जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 19 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 11 मार्च, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 11 सितम्बर, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/9/97-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3522]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940

No. 3522]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

का.आ. 4336(अ).— (अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में ताम्बा खनन उद्योग में लगे उद्योगों की सेवा शामिल है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 में शामिल हैं, को जैसा कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1015(अ), तारीख 7 मार्च, 2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तारीख 7 मार्च, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिसूचित की गई थी;

और यह कि, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास के लिए और बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए

तारीख

7 सितम्बर, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/11/97 - आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3814]
No. 3814]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2018/आश्विन 5, 1940
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2018/ASVINA 5, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

का.आ. 4992(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि नाभिकीय ईधन और संघटक, भारी पानी और संबद्ध रसायन तथा आणविक उर्जा का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले औद्योगिक स्थापनों की सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 28 के अंतर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं हों,

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1365(अ), तारीख 26 मार्च, 2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 29 मार्च, 2018 से छह मास की अवधि के लिए अंतिम बार उक्त औद्योगिक स्थापनों को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त औद्योगिक स्थापनों की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त औद्योगिक स्थापनों की सेवाओं को तारीख 29 सितम्बर, 2018 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/97-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का सत्रपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4005]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940

No. 4005]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5191(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल), में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ii) के उप-खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/96- आई.आर.(पी.ए.ल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2018

S.O. 5191(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Bhartiya Reserve Bank Note Mudran Limited, Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal) which is covered by item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4135]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार 18, 2018/आश्विन 26, 1940

No. 4135]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5326 (अ).—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, कि वैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 2 के अधीन सम्मिलित हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक उपयोगी सेवा है;

और केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 अप्रैल, 2018 में अंतिमत: प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1569(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2018 उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए उक्त उद्योग 21 अप्रैल, 2018 से छह मास के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में और छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा की स्थिति का विस्तार करना अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (iii) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए तारीख 21 अक्तूबर, 2018 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/97-आई.आर.(पी.एल.)]
कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2018/कार्तिक 10, 1940

No. 4413]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2018/KARTIKA 10, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2018

का.आ. 5620(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि कोयला उद्योग की सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 4 के अन्तर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित की जानी चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (d) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त कोयला उद्योग को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/3/2018-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2018

S.O. 5620(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the coal industry, which is covered by entry 4 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby declares from the date of publication of this notification the said coal industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S.11017/ 3 /2018 – IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.

6506 GI/2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK
KUMAR

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 2018.11.06
22:24:32 +05'30'



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4979]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2018/अग्रहायण 27, 1940

No. 4979]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2018/AGRAHAYANA 27, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6209 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है, कि लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 7 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा है;

और केन्द्रीय सरकार ने अन्ततः भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2953(अ), तारीख 19 जून, 2018 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग को 20 जून, 2018 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग का लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार करना अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 20 दिसम्बर, 2018 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/07/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4980]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 2018/अग्रहायण 27, 1940

No. 4980]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 18, 2018/AGRAHAYANA 27, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6210(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में 'रक्षा प्रतिष्ठान' उद्योगों में लगी ऐसी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 8 के अंतर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी लोक उपयोगी सेवा होगी, जिसे इस मंत्रालय की अधिसूचना सख्यांक का.आ. 2954(अ), तारीख 19 जून, 2018 द्वारा 22 जून, 2018 से छह मास की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त अवधि का छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्योग को 22 दिसम्बर, 2018 से छह मास की और अवधि के लिए पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/8/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5075]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 26, 2018/पौष 5, 1940

No. 5075]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26, 2018/PAUSH 5, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6315 (अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि, लोक-हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि, भारतीय खाद्य निगम में लगी हुई ऐसी सेवाएँ जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 6 (खाद्य पदार्थ) के अधीन समावेशित हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3093 (अ), तारीख 25 जून, 2018 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 27 जून, 2018 से छः मास तक की कालावधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि, उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य निगम में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 27 दिसम्बर, 2018 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव



भारत का गज़ेट The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940

No. 5108]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSA 7, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6362(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोक हित में यह समीचीन है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), की प्रथम अनुसूची में 'रसायनिक उर्वरक उद्योग' जोड़ा जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, उसकी मद सं. 32 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ती है, अर्थात् :-

"33. रसायनिक उर्वरक उद्योग"।

[फा.सं. एस-11017/6/2011-आईआर (पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2018

S.O. 6362(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest to add to the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the 'Chemical Fertilizer industry';